परियोजना का नामः–

जनपद टिहरी गढ़वाल की विकासखण्ड थौलधार के वन अर्न्तगत सूरीधार ग्रा0स0 पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना।

प्रस्तावित कार्य हेतु वनभूमि की मांग का पूर्ण औचित्य हेतु आख्या

(परियोजना के सम्बन्ध में विवरण)

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड थौलधार के न्याय पंचायत रामगांव की 18 ग्राम पंचायतों के 28 राजस्व ग्रामों की 92 बस्तियों में पेयजल का अत्याधिक संकट है। इन ग्रामों/तोकों में पेयजल की आपूर्ति हेतु जन समुदाय की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार द्वारा घोषणा संख्या 31–16/XXXV-4-644 घो0 /2012, देहरादून, दिनांक 22.06.2012 द्वारा घोषणा की गयी कि शीघ्रातिशीघ्र पेयजल योजना से इन ग्रामों /तोकों को आच्छादित किया जायेगा, के अनुपालन में इन 92 तोकों में पेयजल आपूर्ति हेतु पेयजल के सभी विकल्पों का विस्तृत अध्ययन करने के उपरान्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध न होने के कारण पम्पिंग विकल्प से ही उक्त तोकों में पेयजल की आपूर्ति हेतु सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 1295/उन्तीस(2)/16–2 (35 पे0)/2012 पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 03 अगस्त, 2016 के द्वारा स्वीकृत की गयी है। योजना के संरेखण हेतु विस्तृत अध्ययन उपरान्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध न होने के कारण योजना के निर्माण हेतु 0.285 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.445 हे0 सिविल सोयम भूमि कुल 0.73 हे0 वनभूमि की नितान्त आवश्यकता है। अतः उक्त परियोजना के निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित /सिविल सोयम वनभूमि की 30 वर्षो की लीज पर लिये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के निर्माण उपरान्त 18 ग्राम पंचायतों के 28 राजस्व ग्रामों के 92 बस्तियों में निवासरत लगभग 3775 परिवारों जिनकी जनसंख्या 18871 है, को जीवनयापन हेतु अतिआवश्यक पेयजल उपलब्ध हो जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा, निर्माण शाखा,
जल निगम, चम्बा, टि0गढ0।

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Sansadhan
Vikas Evam Nirman Nigam
Chamba (Tehri Garhwal)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा, निर्माण शाखा,
जल निगम, चम्बा, टि0गढ0।